कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आरसी/149/2024

बिक्री उद्घोषणा सूचना

केनरा बैंक (ई-सिंडीकेट बैंक) बनाम सुनील कुमार

बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38,52(2) के तहत बिक्री की घोषणा

(सीडी1) सुनील कुमार पुत्र कार्तिक दास
(सीडी2) श्रीमती लता पत्नी सुनील कुमार, दोनों निवासी 110, सेक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली-110085
(सीडी3) राजकुमार पुत्र हरीराम सोनेजा, निवासी एफ-4/28, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085

निम्नलिखित संपत्ति पीठासीन अधिकारी, डीआरटी-क द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार सुनील कुमार से रुपये 1,18,60,068.80 (रुपये एक करोड़ अठारह लाख साठ हजार अड़सठ और अस्सी पैसे मात्र) तथा देय ब्याज और लागत (पहले से वसूली गई राशि, यदि कोई हो, घटाकर) की वसूली के लिए 26.06.2026 को सार्वजनिक ई-नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी। ।

संपत्ति का विवरण

लॉट की संख्या	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, जिसमें सह-स्वामियों के नाम भी शामिल हों-विशेषकर तब, जब संपत्ति किसी डिफॉल्टर और किसी अन्य व्यक्ति की संयुक्त स्वामित्व में हो	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके अधीन संपत्ति है	मूल्यांकन में, यदि कोई हो, तो प्रमाणपत्र कर्जदार द्वारा दिया गया मूल्यांकन भी बताया जाएगा	संपत्ति के संबंध में, यदि कोई दावे प्रस्तुत किए गए है, और इसकी प्रकृति तथा मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण	आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी	आरक्षित मूल्य का 10% या राउण्ड ऑफ ईएमडी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	सम्पत्ति यानी दूसरी मंजिल, सम्पत्ति सं. 219, पॉकेट-7, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	रु. 25.00 लाख	रु. 2.50 लाख

1. नीलामी/बोली केवल ई-नीलामी वेबसाइट यानी https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पहले से ही भागीदारी दर्ज करानी चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपेक्षित धरोहर राशि नीचे निर्धारित मोड में जमा की जाती है।
3. ईएमडी 23/06/2026 **को शाम 05:00 बजे तक वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)** https://baanknet.com पर जमा की जाएगी, उसके बाद जमा की गई ईएमडी को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. उपरोक्त के अलावा, कंपनी के मामले में पैन कार्ड की प्रति, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव की प्रति या कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रति और ऐसी जमा राशि की रसीद/काउंटर फाइल 23/06/2026 की शाम 05:00 बजे तक सॉफ्टकॉपी अपलोड करके ई-नीलामी वेबसाइट के माध्यम से उक्त सेवा प्रदाता के पास पहुंच जानी चाहिए और ईएमडी जमा रसीदों के साथ हार्ड कॉपी भी **वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में** 23/06/2026 तक पहुंच जानी चाहिए। यह भी माना जाता है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि भुगतान के उसी तरीके के माध्यम से ऐसे बोलीदाताओं के संबंधित खातों में वापस कर दी जाएगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं:

नीलामी एजेंसी का नाम	बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)
संपर्क व्यक्ति	श्री उदय जाधव (बैंकनेट के प्राधिकृत अधिकारी)
हेल्पलाइन नं.	+91-9820878255
हेल्पलाइन ई-मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	सुनील कुमार, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल : 9818559041; 011-23673888; cb19041@ canarabank.com

6. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https://baanknet.com पर जाएं।
7. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. संपत्ति उपरोक्त लॉट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के साथ 01 लॉट में बेची जाएगी।
9. बोलीदाता को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान रु. 10,000/- के गुणकों में प्रस्ताव में सुधार करना होगा।
10. संपत्ति 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर बेची जाएगी और ई-नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
11. उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (**BAANKNET**) https://baanknet.com में पहले से भुगतान की गई ईएमडी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस **शाम 4:00 बजे** तक वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. क्रमांक 149/2024 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।
12. **सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. क्रमांक 149/2024 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करें। उपरोक्त के अलावा, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से कुल बिक्री प्रतिफल राशि पर 1% पाउंडेज शुल्क (तथा रु. 10) भी जमा करना होगा। पाउंडेज की फीस के लिए तैयार किया गया डीडी सीधे वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।**
13. यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमा की गई राशि (बिक्री के खर्चों को काटने के बाद) को—यदि अधोहस्ताक्षरी अधिकारी उचित समझें—सरकारी खाते में जब्त किया जा सकता है; और भुगतान में चूक करने वाला क्रेता, उस संपत्ति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा। बिक्री की नई घोषणा जारी करने के तुरंत बाद, उस संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो उसकी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस कीमत पर संपत्ति बेची जाती है, उसके बीच के अंतर या कमी के रूप में सामने आती है।
14. **नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है:-**

सभी माध्यम से नोटिस की सर्विस	24.05.2026	
सम्पत्ति का निरीक्षण	04.06.2026	दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक, और यह एसबीआई द्वारा संपन्न किया जाएगा, जिनके पास विचाराधीन संपत्ति की चाबियाँ रखी हुई हैं।
जमा धरोहर राशि के प्रमाण और नीलामी एजेंसी पोर्टल के दस्तावेज अपलोड करने के साथ भौतिक बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि	23.06.2026	05:00 बजे अप. तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	26.06.2026	12:00 बजे दोपहर से 1:00 बजे अप.

15. वसूली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। इस अधिकरण की मुहर के साथ, मेरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक 13.05.2026 को जारी किया गया।

हस्ता/-
निरंजन शर्मा,
वसूली अधिकारी-II,
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा
2230, आउट्राम लेन्स, मुखर्जी नगर शाखा, दिल्ली – 110009
ईमेल: mukdel@bankofbaroda.com
टोल फ्री नंबर: 18005700, फोन: 8433888777

संक्षिप्त वाहन ई-नीलामी सूचना

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ने पक्षों द्वारा निष्पादित बंधक/ऋण समझौते के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित बंधक मोटर वाहन को पुनः प्राप्त/जब्त कर लिया है और वाहन को "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर नीचे उल्लिखित खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा।
उधारकर्ता/गारंटर/वाहन/कुल देय राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ऋण लेने वाले/वाले का नाम एवं पता	कुल बकाया	वाहन का निर्माण और मॉडल आरटीओ पंजीकरण संख्या	ई-नीलामी की तिथि/समय ई-नीलामी/बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य 2. बयाना जमा (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति	वाहन निरीक्षण दिनांक एवं समय
1	ऋणकर्ता – श्रीमती सुनीता सेतिया पत्नी श्री सुनील कुमार सेतिया (दिवंगत) कानूनी वारिस – 1. श्री सुनील कुमार सेतिया 2. श्री रचित सेतिया पुत्र श्री सुनील कुमार सेतिया 3. श्री राहुल सेतिया पुत्र श्री सुनील कुमार सेतिया सभी निवासी – डी-26, ओल्ड गुप्ता कॉलोनी, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009	रू. 9,63,084/- (नौ लाख तिरसठ हजार चौरासी रुपये मात्र) दिनांक 04-12-2025 तक, साथ ही 05-12-2025 से भविष्य का ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय।	किआ सोनेट जी1.0टी आईएमटी एचटीके प्लस रंग – क्लियर व्हाइट निर्माण वर्ष – 2024 पंजीकरण संख्या – DL8CBG8135	24.06.2026 (अपराह्न 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) 24-06-2026 सायं 04:00 बजे	1. रू. 7,22,000/- 2. रू. 72,200/- 3. रू. 5,000/-	भौतिक	20.06.2026 सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

उपरोक्त क्र सं के लिए बैंकनेट प्रॉपर्टी आईडी और नीलामी आईडी इस प्रकार है:

क्र. सं.	बैंकनेट प्रॉपर्टी आईडी
1.	BARB362920260001 (नोट: सफल खरीदार/बोलीदाता को लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट https://baanknet.com देखें। इच्छुक बोलीदाता शाखा प्राधिकृत अधिकारी से मोबाईल नंबर 8130999110 पर संपर्क कर सकते है।

दिनांक 19.05.2026, स्थान : दिल्ली — अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का — Honours Your Trust

अंचल कार्यालय, वसूली विभाग,
प्रथम तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,
दूरभाष :011-23753827, 011-49498261, 011-49498285

ई-नीलामी विक्रय सूचना
(सरफैसी अधिनियम 2002 के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत बैंक के पास गिरवीकृत अचल सम्पत्ति की बिक्री की ई-नीलामी बिक्री। नीचे उल्लिखित कर्जदार के खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी(यों) द्वारा बैंक के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर इसकी बिक्री के अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 8 जून, 2026 को 01:00 बजे अप. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, आईएफएससी सं., खाता सं., दूरभाष नं. एवं ई-मेल	कर्जदार तथा जमानती का नाम	बकाया राशि (रु. लाख)	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	एमआरपी / ईएमडी	सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि तथा सम्पर्क व्यक्ति	सरकारी बकाया यदि कोई हो
1.	पंजाबी बाग शाखा आईएफएससी UCBA0000234, खाता 02341032200001, ई-मेल: punjab@uco.bank.in	आवेदक: मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, प्रोपराइटर श्री दीपांशु सिंघल	रु. 129.76 लाख+ अप्रयुक्त ब्याज और अन्य आकस्मिक शुल्क	1.फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन मॉडल-वाईटी-21200, क्रम सं. 202308007-ZYY-2, 2. नॉन-वेवेन बैग मशीन मॉडल-अप्रयोज्य, क्रम सं. अप्रयोज्य, 3. लीडर नॉन वूवेन बैग मेकिंग मशीन, मॉडल-ओयनैंग-17, क्रम सं. OY24010810	सांकेतिक कब्जा	आवेदक : श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी	रु. 88.74 लाख / रु. 8.88 लाख	07/06/2026 प्राधिकृत अधिकारी श्री विवेक आहूजा मोबाइल : 9639834444	ज्ञात नहीं

अधिक जानकारी एवं पूछताछ के लिए आप श्री राहुल सूर्या (मुख्य प्रबंधक) 8517922037, या श्री नितिन यादव (वरिष्ठ प्रबंधक) 8802852985 से संपर्क कर सकते हैं।

नियम एवं शर्तें :

1. नीलामी बिक्री अनिवार्य रूप से बैंकनेट वेब पोर्टल के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी"/बोली होगी। संभावित खरीदारों के लिए यूआरएल: **https://BAANKNET.com**. नीलामी 08.06.2026 को 01:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. के बीच उपरोक्त संपत्तियों के विरुद्ध ऊपर बताए गए समय (भा.मा.स.) के अनुसार 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी।
2. सभी इच्छुक बोलीदाता अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे। बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता (**https://BAANKNET.com**) द्वारा निर्धारित केवाईसी दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क प्रदान करके ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। एक बार **https://BAANKNET.com** द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पंजीकरण सभी केवाईसी दस्तावेजों और पंजीकरण शुल्क जमा करने की तारीख से अधिकतम दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सक्रिय हो जाएगा।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में ही पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा और लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिए **https://BAANKNET.com** हेल्पडेस्क : +918291220220, **support.BAANKNET@psballiance.com** से अनिवार्य है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट **https://BAANKNET.com** देखें।
5. संबंधित विवरण के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।
6. उपरोक्त संपत्ति के लिए जमा धरोहर राशि (ईएमडी) पोर्टल पर पंजीकरण के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा केवल वॉलेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर (**https://BAANKNET.com**) में फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी।
7. ऑनलाइन जमा किए गए संलग्नक (यूटीआर नंबर का उल्लेख करते हुए) के साथ बोली प्रपत्र की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, संबंधित शाखाओं को सौंपी जाएगी या उसकी सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को भेजी जाएंगी: **zonewdelhi.rec@ucobank.co.in**
8. बोली मूल्य न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर/या उससे अधिक होगा लेकिन रु.10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के गुणकों में होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि प्रथम ऑनलाइन संविदा (एच1) जो ऑनलाइन फारवर्ड नीलामी के दौरान सिस्टम में आती है उसमें संविदाएँ जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम संविदाओं से उच्चतर बढ़ोतरी की जा सकती है अर्थात प्रारम्भिक मूल्य से एक बढ़ोत्तरी अथवा बढ़ोत्तरी के गुणक द्वारा प्रारम्भिक मूल्य से उच्चतर। नीलामी के दौरान, आउटबिड से आने वाली अनुगामी संविदा का एच1 रेट एच1 रेट से एक बढ़ोत्तरी उच्चतर होना चाहिए अथवा बढ़ोत्तरी मूल्यों के गुणक में होना चाहिए।
9. सफल संविदाकारों को विक्रय के उसी दिन उपर्युक्त क्लॉज 7 में उल्लिखित माध्यम से ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने के तुरन्त बाद संविदा राशि (पहले से प्रदत्त धरोहर राशि सहित) का 25% जमा करना होगा। क्रय मूल्य का शेष 75% अधोहस्ताक्षरी द्वारा सफल संविदाकार को स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
10. यदि सफल संविदाकार उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार संविदा राशि जमा करने में असफल हो जाता है तो संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. असफल संविदाकार(रों) की ज.ध.रा. ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने पर लौटा दी जायेगी।
12. विक्रय बैंक की पुष्टि का विषय है। यदि कर्जदार/जमानती विक्रय से पूर्व सम्पूर्ण राशि बैंक को अदा कर देता है तो कोई विक्रय संचालित नहीं होगा।
13. सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है वहाँ है तथा जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर किया जायेगा तथा इच्छुक संविदाकार को बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण की सम्पत्ति के सम्बन्ध में ठोस पूछताछ कर लेनी चाहिए और अपनी संविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति के स्वामित्व, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन संविदा जमा करने के पश्चात विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति, प्रभारों, किसी अन्य मामले में सम्पत्ति पर ऋणभारों आदि किसी भी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताए किसी संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, विक्रय को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने /किसी नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
15. क्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रभार, सरकार को देय समस्त विधिक बकाये, कर/जीएसटी एवं दरें तथा सम्पत्ति से सम्बद्ध वर्तमान तथा भावी व्यय सहित स्टैम्प शुल्क, प्रभार आदि वहन करने होंगे। विक्रय प्रमाणपत्र सफल संविदाकार के नाम से ही निर्गत किया जायेगा।
16. यह विक्रय सरफैसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों तथा उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन है।

यह प्रकाशन सूचना विशेष रूप से कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं को सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिवसीय बिक्री सूचना भी है।

दिनांक : 18.05.2026, स्थान : नई दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी, यूको बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

रिकवरी डिवीजन सर्किल ऑफिस ईस्ट दिल्ली
स्कोप टॉवर लक्ष्मी नगर, निकट निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन
दिल्ली-110092, ई-मेल : coeastdelrec@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

क्र.सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / नाम एवं राशि / कर्जदार/जमानती खाता का पता	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / B) माँग सूचना के अनुसार राशि / C) अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि / D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) / संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	शा.का.: यमुना विहार, दिल्ली (225600) श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जय राम सिंह (कर्जदार) पता: मकान सं. आर-228, अंबेडकरबस्ती, घोंडा, दिल्ली। साथ ही : मकान सं. ए228अंबेडकर बस्ती घोंडा गढ़ हिमेंदु उत्तर पूर्वी दिल्ली1110053 साथ ही : फ्लैट नं. जीएफ-3 प्लॉट नं. सी-9 ए/2, एलआईजी डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाज़ियाबाद, उ.प्र. पर स्थित श्रीमती मीनू पत्नी श्री प्रीतम सिंह (कर्जदार) पता: मकान सं. आर-228, अंबेडकर बस्ती, घोंडा, दिल्ली। साथ ही : मकान सं. ए228अंबेडकर बस्ती घोंडा गढ़ी मेंडू उत्तर पूर्व दिल्ली1110053 साथ ही : फ्लैट नं. जीएफ-3 प्लॉट नं. सी-9 ए/2, एलआईजी डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाज़ियाबाद, उ.प्र. पर स्थित	16.09.2022 रु. 5.33 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 10.03.2023 भौतिक	फ्लैट संख्या - जीएफ-3, पीछे की ओर (भूतल), प्लॉट संख्या सी-9, ए/2, एलआईजी, डीएलएफ, अंकुर विहार, सादुलाबाद, लोनी (छत के अधिकार के बिना), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 400.00 वर्ग फुट या 37.16 वर्ग मीटर है।	रु. 9.50 लाख रु. 0.95 लाख (23.06.2026) रु. 25000/-	23.06.2026 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रवि कुमार (मो. नं. 9727744343) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
2.	शा.का.: भीम राव अंबेडकर कॉलेज (519810) श्री अमर बहादुर सिंह (कर्जदार) पुत्र - श्री बलकरन सिंह पता: फ्लैट नंबर-198/एफ-2, दिलशाद कॉलोनी, डीएलएफ, सीमापुरी, दिल्ली - 110095 अन्य पता: एस-02, दूसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर-सी224, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाज़ियाबाद, उ.प्र. 201102 अन्य पता: फ्लैट नंबर - 198/एस-2, दिलशाद कॉलोनी, डीएलएफ, सीमापुरी, दिल्ली - 110091 श्री श्याम बहादुर सिंह पुत्र राम शंकर सिंह (जमानती) पता: एफ-163, डी-एस1, दिलशाद कॉलोनी, डीएलएफ, एफ ब्लॉक, सीमापुरी, दिल्ली - 110095	05.12.2024 रु. 6.56 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 15.05.2026 सांकेतिक	एक आवासीय फ्री-होल्ड बना-बनाया फ्लैट, जिसका नंबर सी-224/एस-2 है; यह दूसरी मंज़िल पर स्थित है और इसके साथ छत के अधिकार भी शामिल हैं। इसका सुपर एरिया लगभग 450 वर्ग फुट (यानी 41.80 वर्ग मीटर) है। यह एलआईजी श्रेणी का सामने की ओर वाला फ्लैट है और फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी नंबर सी-224 का एक हिस्सा है। यह एसएलएफ वेद विहार, ग्राम सादुल्लाबाद/लोनी क्षेत्र, तहसील और ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संपत्ति श्री अमर बहादुर सिंह के नाम पर दर्ज है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - प्लॉट सी-223, पश्चिम - 9 मीटर चौड़ी सड़क उत्तर - प्लॉट नंबर सी-225, दक्षिण - 18 मीटर चौड़ी सड़क	रु. 13.50 लाख रु. 1.35 लाख (23.06.2026) रु. 25000/-	23.06.2026 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रवि कुमार (मो. नं. 9727744343) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
3.	शा.का.: मयूर विहार II (440800) श्री अनिल कुमार (कर्जदार) पता: पुत्र - श्री युधिष्ठिर लाल फ्लैट संख्या - यूजीटी - 03, तीसरी मंजिल प्लॉट संख्या - 81, सेक्टर - 5, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश्री इसके अलावा: मकान संख्या - 1/462 सेक्टर - 01, वैशाली, न्यायखंड - 03 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश श्री सुनील दत्त (गारंटर) पता: श्री ब्रह्म दत्त के पुत्र, एम-202ए, संजय नगर, सेक्टर - 23, राज नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश श्री दिलीप सिंह चौहान (गारंटर) पता: स्व. श्री के पुत्र धन सिंह क- 61, राजीव नगर, खोरा कॉलोनी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश	07.12.2023 रु. 2.27 लाख +पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 30.05.2025 सांकेतिक	यूजीटी-03 में निर्मित लीजहोल्ड संपत्ति, शीर्ष मंजिल (बिना छत के अधिकार के), पिछला भाग, एमआईजी, प्लॉट संख्या - 5/81, आवासीय कॉलोनी, सेक्टर-5, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 68.00 वर्ग मीटर। श्री अनिल कुमार के नाम पर, सीमाएं : पूर्व - प्लॉट संख्या 80, पश्चिम - प्लॉट संख्या 82, उत्तर - 60 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण - अन्य प्लॉट	रु. 29.00 लाख रु. 2.90 लाख (23.06.2026) रु. 25000/-	23.06.2026 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रवि कुमार (मो. नं. 9727744343) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
4.	बीओ: गांधी नगर (016100) श्रीमती. मीनादेवी, पत्नी उमाशंकर, फ्लैट नंबर-734सी, तीसरी मंजिल, न्याय खंड-3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, इसके अलावा: जी -1 0 1, गाजीपुर, गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली-110096, इसके अलावा: मकान नं.-8, धर्मरांशिक, पुलिस स्टेशन - बहरिया, तहसील - फूलपुर, इलाहाबाद - 212501, इसके अलावा: केएपी सिल्वर लीजन प्राइवेट लिमिटेड, 41/4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, साइट-4, उ.प्र.-201010	11.02.2026 रु. 10.09 लाख +पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 24.04.2026 सांकेतिक	फ्लैट संख्या - 734सी (ईडब्ल्यूएस), तीसरी मंज़िल (बिना छत के अधिकार), न्याय खंड - 3, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उ.प्र. - 201014 पर स्थित संपत्ति। कवर्ड एरिया का माप 19.505 वर्ग मीटर है, जो श्रीमती मीना देवी (वाया उमाशंकर) के नाम पर है।	रु.11.86 लाख रु. 1.19 लाख (23.06.2026) रु. 25000/-	23.06.2026 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रवि कुमार (मो. नं. 9727744343) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
5.	शा.का.: गुरुद्वारा रोड (012000) श्री राज कुमार रामचंदानी (कर्जदार) पता:सी4/35, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली, दिल्ली-110065 मोबाइल- 9810459684 साथ ही: फ्लैट नंबर - 701,7वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 60, एवेन्यू जे, रुस्तमजी एवरशाइन ग्लोबल सिटी, नारंगी बाईपास रोड विवा कॉलेज के निकट, विरार (पश्चिम), जिला-ठाणे, मुंबई -401303 श्रीमती मीना रामचंदानी (मृतक) (कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से)